

फर्द अहकाम

(नियम-13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)


अज अदालत- सहायक कलेक्टर मुकाम- डीडवाना.....

प्रार्थी:-रोशन पुत्र स्वर्गीय सांवला, जाति-भाट, आयु-50साल, निवासी-आस की ढाणी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

बनाम्

अप्रार्थीगण:- रजाक पुत्र सांवला, जाति-भाट, निवासी-आस की ढाणी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा।

किस्म मुकदमा- राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धरा-212 R.T.Act. संख्या-...31...सन्-.....2018....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
05.03.2018	<p>प्रार्थी रोशन पुत्र स्वर्गीय सांवला, जाति-भाट, आयु-50साल, निवासी-आस की ढाणी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान ने यह प्रार्थना-पत्र विरुद्ध रजाक पुत्र सांवला, जाति-भाट, निवासी-आस की ढाणी, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, वगैरा के पेश किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>स्थगन पर एक पक्षीय तर्क वकील प्रार्थी सुने गये तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन करने तथा प्रार्थी के शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, आगामी आदेश तक, विवादित भूमि वाकै शरहद मौजा आस की ढाणी में खसरा संख्या 1807 व 1859 के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखी जावे।</p> <p>अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली दिनांक 05.04.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">2 सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)</p> <p>5/4/18 दिनांक 9/1/18</p> <p>9/5/18 पत्रावली के अन्वय में प्रार्थी को सूचित किया जा रहा है, जिसल दिनांक 5/7/18 को पेश हो।</p>	<p>07 अप्रार्थी</p> 

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

25/10/23

पत्रावली पेश हुई । बार संघ नं अदालती
कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक.....29/01/24
को पेश हो । 2

28/1/24 पत्रावली पेश हुई ; बार संघ नं अदालती
कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक.....28/2/2024
को पेश हो । 8

28/3/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा.
अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे हैं।
मिसल दिनांक.....1/6/24 को पेश हो ।

11/6/24

पत्रावली पेश हुई।

प्राची व उनके अधिवक्ता को बार-बार अदालतों
लक्षित करे परन्तु पुकार के कतफूटनी
न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अतः प्राची व
प्राची अदालतों - अदालत से लगे रहने
रहित नग्न हैं।
पत्रावली अर्थात् अपर से इस छेहर करीब लगे
दफ्तर में।

WKS

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

